

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

पत्रांक 1151 / 12-1 Email-dfo.champawat@rediffmail.com चम्पावत, दिनांक 4-9-2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद चम्पावत में लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) के निर्माण हेतु 4.50 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में।

संदर्भ:- अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड लोहाघाट की पत्र संख्या 1148/सि०/ख०लो०/कोलीढेक जलाशय (व०भू०प्र०) दिनांक 19.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक सं० 08बी/यू०सी०पी०/०२/१२७/२०१८/एफ०सी०/९८६/दिनांक ०५.०८.२०१९ के द्वारा कतिपय शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसकी अनुपालन आख्या अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड लोहाघाट द्वारा उपलब्ध कराई गई है। जिसके आधार पर अनुपालन आख्या प्रेषित की जा रही है-

क्र०सं०	भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत शर्तें	अनुपालन आख्या
01	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 9.00 है० ग्राम- कोटस्यारी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में चालान के माध्यम से जमा कर दी गई है। जो ऑनलाइन प्रस्ताव में paid दिखा रहा है। चालान की छायाप्रति संलग्न हैं। सिविल भूमि का नामान्तरण/हस्तान्तरण जिलाधिकारी महोदय चम्पावत के पत्रांक 1241/सात-व०भू०- भूमि हस्ता०/२०१९ दिनांक ०३.१२.२०१९ के द्वारा वन विभाग के नाम <u>नामान्तरण/हस्तान्तरण</u> कर दिया गया है। जिलाधिकारी चम्पावत के पत्र की छायाप्रति संलग्न है। संलग्नक-1,19 एवं 20
02	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 - एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन. पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० के धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है। छायाप्रति संलग्न है। संलग्नक-2
03	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता, अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बढ़ता	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य दरों में भविष्य में बढ़ोतरी होने पर उस धनराशि को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में

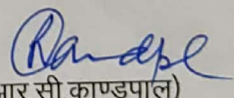
	प्रस्तुत की जाए।	जमा किया जायेगा। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्नक-3
04	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CAcost, NPV etc) को बैंक पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, एन0वी0वी0 की धनराशि का डिमान्ड नोट प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया, जिसे ऑनलाइन के माध्यम से नोडल अधिकारी देहरादून को भेजा गया। नोडल अधिकारी द्वारा डिमान्ड नोट को स्वीकृत करने के पश्चात चालान जनरेट कर चालान के माध्यम से ही उक्त धनराशियां जमा की गई, जो ऑनलाइन में पेड दिखा रहा है। बिन्दु सं0 2 के अनुसार चालान की छायाप्रति संलग्न है। संलग्नक-2
05	निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात जहां-जहां संभव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात रिक्त पड़े स्थानों पर प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वनविभाग की देख-रेख में वृक्षारोपण किया जाएगा, जिस हेतु वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्नक-4
06	राज्य सरकार 95 वृक्षों की प्रजातिवार सूची इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	उपरोक्त परियोजना के निर्माण में मात्र 95 वृक्षों का ही कटान किया जाना है। सूची संलग्न है। संलग्नक-5
अन्य शर्तें		
01	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। संलग्नक-6
02	एन. पी. वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि एन.पी. वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। संलग्नक-7
03	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 9.00 है0 ग्राम-कोटस्यारी सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/ संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चम्पावत में लोहाघाट के समीप कोलीढेक कृत्रिम जलाशय (झील) के निर्माण हेतु 4.50 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सिचाई खण्ड, लोहाघाट को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु ग्राम कोटसारी पट्टी क्षेत्र दिगालीचौड़, तहसील लोहाघाट के खाता संख्या -107, श्रेणी- 9(3)ड0 बं0का0आ0 के खेत/खसरा नं0 4013, रकवा 1.75 है0 खेत नं0 4038, रकवा 1.664 है0 खेत नं0 4083 रकवा 1.00 है0 नं0 4128, रकवा 0.788 है0 कुल 9.00 है0 सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी है। सन् 1893 की

		राजपत्र के अनुसार यह भूमि संरक्षित वन क्षेत्र है तथा उक्त भूमि की अमल दरामद राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है एवं इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है। इस भूमि को पृथक से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। संलग्नक-19
04	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। संलग्नक-8
05	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। संलग्नक-9
06	परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी। प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्नक-10
07	निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात जहां-जहां समंव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात जहां-जहां समंव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न हैं। संलग्नक-11
08	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये layout plan में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये layout plan में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। संलग्नक-12
09	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या 95 से अधिक न हो।	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या 95 से अधिक नहीं होगी। संलग्नक-13
10	प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का R-C-C pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन forward and back b भी	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का R-C-C pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन

	अंकित किया जाएगा।	forward and back b भी अंकित किया जाएगा। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। संलग्नक-14
11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए सक्षम अधिकारी / प्राधिकरण से आवश्यक पर्यावरण मंजूरी, यदि लागू है तो, लेना आवश्यक होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए सक्षम अधिकारी / प्राधिकरण से आवश्यक पर्यावरण मंजूरी, लेना आवश्यक होगा। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। संलग्नक-15
12	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा नहीं फेंका जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा नहीं फेंका जाएगा। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। संलग्नक-16
13	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा नहीं फेंका जाएगा। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। संलग्नक-17
14	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें उसका भी पालन किया जाएगा। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है। संलग्नक-18

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार सूचना अपने स्तर से अपर प्रमुख एवं नोडल अधिकारी भूमि संरक्षण निदेशालय, देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय,


 (आर.सी.काण्डपाल)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

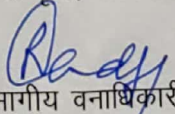
पत्रांक

1151

112-1

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खण्ड लोहाघाट को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण की अनुपालन आख्या चार प्रतियों में इस कार्यालय से प्राप्त कर कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा में विशेष पत्रवाहक के माध्यम से पहुँचाने का कष्ट करें।


 प्रभागीय वनाधिकारी,
 चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड लोहाघाट

पत्रांक 679 / सिंचाई खण्ड / कोलीढेक झील (वन भूमि)

दिनांक:- 16-10-2020।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

चम्पावत वनप्रभाग चम्पावत।

विषय:- जनपद चम्पावत में लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) के निर्माण हेतु 4.50 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून का पत्रांक 1003/ FP/UK /IRRIG/ 34614/2018/देहरादून, दिनांक 3 अक्टूबर, 2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो अधोहस्ताक्षर कर्ता को सम्बोधित तथा पृष्ठांकित आपको है, के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के पत्र संख्या 08बी/यू०सी०पी०/०२१२७/२०१८/ एफ०सी०/ ९८६ दि० ०५-०८-२०१९ के द्वारा विषयक झील में पड़ने वाले वन भूमि प्रस्ताव में कतिपय शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। तत्पश्चात उक्त भूमि की विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून को कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत, वनप्रभाग, चम्पावत के पत्रांक-८११/१२-०१, दिनांक-२१.०९.२०२० से प्रेषित की गई है। उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा अनुपालन आख्या में कुछ कमियाँ अंकित की गई हैं। कमियों के निवारण हेतु वन विभाग के नाम हस्तानांतरण की गई भूमि का कब्जा प्रमाण-पत्र आपके द्वारा हस्ताक्षरित होने एवं परियोजना से प्रभावित ९५ वृक्षों की प्रजातिवार सूचना प्रतिहस्ताक्षरित होने हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता

०/ सिंचाई खण्ड लोहाघाट

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लोहाघाट

पत्रांक : 1148 / सि०ख०लो० / कोलीढेक जलाशय (व०भू०प्र०) /

दिनांक : 19 / 08 / 2023

विषय: जनपद चम्पावत में लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) के निर्माण हेतु 4.50 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में।

सन्दर्भ: कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण का पत्रांक 169 / FP/UK/IRRIG/34614/2018: देहरादून दिनांक 15.07.2021।

प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग चम्पावत, जनपद चम्पावत ।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त योजना में पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक सं० 08बी/यू०सी०पी०/०२/१२७/२०१८/एफ०सी०/९८६/दिनांक ०५/०८/२०१९ के द्वारा कतिपय शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पूर्व में इस खण्ड के पत्रांक ६०८/सि०ख०लो०/प्रतिकर/दिनांक १०/०९/२०२० द्वारा प्रेषित की गई थी, पुनः अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है—

क्र०स०	भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत शर्तें	कृत कार्यवाही
01	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले ९.०० है० ग्राम— कोटस्यारी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके १० वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की धनराशि इस कार्यालय द्वारा वन विभाग के पक्ष में चालान के माध्यम से जमा कर दी गई है। जो ऑनलाइन प्रस्ताव में Paid दिखा रहा है। चालान की छायाप्रति संलग्न हैं। सिविल भूमि का नामान्तरण/हस्तान्तरण जिलाधिकारी महोदय चम्पावत के पत्रांक १२४१/सात-व०भू०-भूमि हस्ता०/२०१९ दि० ०३-१२-२०१९ के द्वारा वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण कर दिया गया है। जिलाधिकारी चम्पावत के पत्र की छायाप्रति संलग्न है।
02	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या ५-३/२००७ — एफ.सी. दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन०पी०वी० के धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।

03	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता, अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शुद्ध वर्तमान मूल्य दरों में भविष्य में बढ़ोतरी होने पर उस धनराशि को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा किया जायेगा। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।
04	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc) को बैंक पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, एन0वी0वी0 की धनराशि का डिमान्ड नोट प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया, जिसे ऑनलाइन के माध्यम से नोडल अधिकारी देहरादून को भेजा गया। नोडल अधिकारी द्वारा डिमान्ड नोट को स्वीकृत करने के पश्चात चालान जनरेट कर चालान के माध्यम से ही उक्त धनराशियां जमा की गई, जो ऑनलाइन में पेड दिखा रहा है। बिन्दु सं0 2 के अनुसार चालान की छायाप्रति संलग्न है।
05	निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां संभव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात रिक्त पड़े स्थानों पर प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वनविभाग की देख-रेख में वृक्षारोपण किया जाएगा, जिस हेतु वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
06	राज्य सरकार 95 वृक्षों की प्रजातिवार सूची इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	उपरोक्त परियोजना के निर्माण में मात्र 95 वृक्षों का ही कटान किया जाना है। सूची संलग्न है।

अन्य शर्तें

01	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है।
02	एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।	एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है।
03	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 9.00 है० ग्राम— कोटस्यारी सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	

04	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है।
05	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है।
06	परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।	परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है।
07	निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां संभव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां संभव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है।
08	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये layout plan में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये layout plan में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है।
09	कम से कम वृक्षों का कटान/ पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या 95 से अधिक न हो।	कम से कम वृक्षों का कटान/ पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या 95 से अधिक न हो। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का R-C-C Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का R-C-C Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है।

11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए सक्षम अधिकारी / प्राधिकरण से आवश्यक पर्यावरण मंजूरी, यदि लागू है तो, लेना आवश्यक होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए सक्षम अधिकारी / प्राधिकरण से आवश्यक पर्यावरण मंजूरी लेना आवश्यक होगा। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है।
12	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है।
13	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है।
14	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे उसका भी पालन किया जाएगा। प्रमाण पत्र प्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार 05 प्रति (अनुपालन आख्या, अनुपालन आख्या की कृत कार्यवाही में वर्णित बिन्दुओं के संलग्नक, खाता -खतौनी,खसरा नक्शा)

अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

सिविल भूमि का कब्जा प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :-जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोली डेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण।

उपरोक्त परियोजना के निर्माण में 4.500 है० वन भूमि प्रभावित हो रही है, जिसके दोगुने क्षेत्रफल 9.000 है० में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ग्राम कोटस्यारी, पट्टी क्षेत्र दिगालीचौड, तहसील लोहाघाट जिला चम्पावत में प्रस्तावित की गई है। खाता संख्या 107 श्रेणी 9(3)ड ब०क०आ०के खेत खसरा संख्या 4013 रकवा 1.75 है०, 4038 रकवा 1.664 है०, 4083 रकवा 1.000 है०, 4128 रकवा 0.788 है०, 4226 रकवा 0.629 है०, 4303 रकवा 1.295 है०, 4367 रकवा 0.748 है०, 4401 रकवा 1.120 है०, 4421 रकवा 0.256 है० मध्ये 0.006 कुल रकवा 9.00 है० का जिलाधिकारी महोदय चम्पावत के आदेश सं० 1241/सात-व०भू०-भूमि हस्ता०/2019 दिनांक 03-12-2019 के द्वारा वनविभाग के नाम नामांतरण/हस्तानांतरण हेतु आदेशित किया गया है। तहसीलदार लोहाघाट द्वारा उक्त भूमि का अमलदरामद (नामांतरण) वनविभाग के नाम कर दिया गया है। उक्त सिविल भूमि को वनविभाग द्वारा अपने कब्जे में ले ली गई है। यह भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

CM 1241/03
कोली

व. ९.

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र-लोहाघाट
वन प्रमाण प्रमाण

प्रमाणित वन विभाग
लोहाघाट

C.S.

प्रमाणित वन विभाग
चम्पावत वन प्रमाण प्रमाण

गैर ज० वि० उद्धरण खतौनी

ग्राम-कोटसारी रा० उ० नि० क्षेत्र-दिगालीचौड़ तहसील-लोहाघाट

श्रेणी-ई(३)उ. बंजर काबिल आबाद

खाता संख्या	खातेदार का नाम/ पिता का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	लगान	विवरण
909	बंजर का० आ०	२	1		जिलाधिकारी चम्पावत के आ० सं 124/ सात-व० भू०-भूमि हस्ता/2019 दिनांक दिसम्बर 03, 2019 एवं संसोधित आ० सं० 3984/ सात-व० भू०-भूमि हस्ता/2016-17 दिनांक अप्रैल 29, 2021 के अनुसार जनपद चम्पावत में लोहाघाट के समीप कोलीदिक में बहुदेशीय कृषि जलशाय (झील) के निर्माण में प्रभावित होने वाली 4.50 हेक्टर भूमि के बदले गाँव कोटसारी पट्टी क्षेत्र दिगालीचौड़ तहसील लोहाघाट के खाता सं० 107 श्रेणी 9(3)उ. बं का. आ. के क्षेत्र/खसरा न० 4013 रकबा 1.75 हे० क्षेत्र न० 4038 रकबा 1.66 हे० क्षेत्र न० 4083 रकबा 1.00 हे० क्षेत्र न० 4128 रकबा 0.788 हे० क्षेत्र न० 4226 रकबा 0.629 हे० क्षेत्र न० 4303 रकबा 1.295 हे० क्षेत्र न० 4367 रकबा 0.748 हे० क्षेत्र न० 4401 रकबा 1.12 हे० क्षेत्र न० 4421 रकबा 0.256 हे० म० 0.006 हे० कुल 9.080 हे० भूमि को शांतिपुरा वृक्षारोपण के लिए वन सीमा के नाम मात्रान्तरण/हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है जसमें ओरेश के अमलकराम द मिया *. ह. अहमद रा. 3. दि. दिगालीचौड़
		३	113		
		४	1		
		५	=		
		६	=		
		क्रमशः			
		४०१३	८७11		
		४०३८	८३3		
		क्रमशः			
		४०८३	२०		
		४१२४	11		
		४१२६	111		
		४१२८	3६-		
		४१३१	113		
		४२२६	३१11		
		४३०३	६४111		
		४३०४	11		
		४३४०	11		
		४३६७	३७11		
		४४०१	२६		
		४४२१	१२11		
		क्रमशः			
		४४११	१४-		
		४३१३	२१-		
		४३४२	४11-		
		४८८४			
		४३४८	२३७ 11		

योग ३६८ २६१11

महोदय उद्धरण खतौनी तैयार की

C.S. (U)
तहसील
लोहाघाट

25/8/23

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र दिगालीचौड़
तहसील लोहाघाट

उद्धरण खतौनी की नकल

परियोजना :- जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोली ढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण।						
क्र० सं०	खाता संख्या	भूमिधर का नाम सर्वश्री	खेत नं०	कुल रकबा हे०	प्रभावित रकबा हे०	विवरण
1	107	श्रेणी 9 (3)ड. ब०का०आ०	4013 4038 4083 4128 4226 4403 4401 4421म० 4367	1.75 1.664 1.00 0.788 0.629 1.295 1.120 0.256 0.748	1.75 1.664 1.00 0.788 0.629 1.295 1.120 0.006 0.748	यह भूमि ग्राम कोटसारी के गैर जमींदारी विनाश खतौनी के खाता संख्या 107 श्रेणी 9(3)ड ब०का०आ० के नाम से दर्ज है।
		योग	9 गाटे	9.250	9.00	

अभियंता प्रथम
उप खण्ड लोहाघाट
पद- चम्पावत

जिलाधिकारी

आधशासी अभियन्ता
सिवाह खण्ड लोहाघाट

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र...
तहसील...

राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र...

तहसीलदार
लोहाघाट

उप प्रभारी कार्याधिकारी
लोहाघाट

उपजिलाधिकारी
लोहाघाट

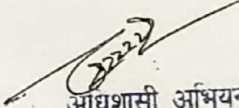
अभियंता प्रथम
पद- चम्पावत

अभियंता क्षेत्राधिकारी
अभियंता क्षेत्र-लोहाघाट
पद- चम्पावत

सिविल भूमि का कब्जा प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोली ढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण।

उपरोक्त परियोजना के निर्माण में 4.50 है० वन भूमि प्रभावित हो रही है, जिसके दोगुने क्षेत्रफल 9.00 है० में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ग्राम कोटस्यारी पट्टी क्षेत्र दिगालीचौड़ तहसील लोहाघाट जिला चम्पावत में प्रस्तावित की गई है जो गै०ज०वि० श्रेणी 9(3)ड बं०का०आ० के खतौनी खाता सं० 107 के खेत नं० 4013 रकवा 1.75 है०, 4038 रकवा 1.664 है०, 4083 रकवा 1.00 है०, 4128 रकवा 0.788 है०, 4226 रकवा 0.629 है०, 4303 रकवा 1.295 है०, 4367 रकवा 0.748 है०, 4401 रकवा 1.12 है०, 4421 रकवा 0.256 मध्ये 0.006 कुल रकवा 9.00 है० का जिलाधिकारी महोदय के आदेश सं० 1241/सात-व०भू०-भूमि हस्ता०/2019 दिनांक 03-12-2019 के द्वारा वनविभाग के नाम नामांतरण/हस्तानांतरण हेतु आदेशित किया गया है। तहसीलदार लोहाघाट द्वारा उक्त भूमि का अमल दरामद (नामांतरण) वनविभाग के नाम कर दिया गया है। उक्त सिविल भूमि को वनविभाग द्वारा अपने कब्जे में ले ली गई है। यह भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


अधिसासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

श्रीर ज.वि. उदुण खतौनी

1 - कोटसारी
 2 - दिगाती चौक
 3 - ट(2) ड० बंजर काबिला आवा ५

तहसील - लोहाघाट
 जिला - चम्पावर

तेदार का नाम ता का नाम	फ. क.	श्रेत न.	रकबा ना० भु०	मा. शु०	विवरण
ल काबिला आवा ५	1264	2 3 क्रमवा: 8092 8038 5050 क्रमवा: 5003 5925 5924 5920 5939 5224 4303 क्रमवा: 5346 5609 5529 5432 क्रमवा: 5008 5888	1 11= क्रमवा: 8011 833 9- क्रमवा: 80 1= 111= 38= 113 3913 8811= क्रमवा: 8613 86 9211 11 क्रमवा: 23611		
मिना		368	26891=		

कलेस
 कसल खतौनी के उहाल खतौनी के पता श्री राजसू खतौनी के
 14-11-2019

State	Recommendation By	Recommendation	Recommendation Date	Remarks	Signing Authority	Notification	Recommendation Letter
Uttarakhand	State Secretary	Recommended	15/10/2018	as per file attached	State Govt. Officer	No Data	

Stage-I Clearance Report

17.	Regional Office Dehradun	Recommendation By Regional Office	MoEF File No. 86/UCP/02/127/2018/FC	Date of Stage-I Clearance 05/08/2019	Clearance Letter
-----	-----------------------------	--------------------------------------	--	---	------------------

18. Payment made by User Agency

Proposal No.	Application No.	Total Amount (Rs.)	Received Amount (Rs.)	Transaction Date	Transaction ID	Bank Name	Mode of Payment	Uploaded Demand Letter
FP/UK/IRRIIG/34614/2018	IRRIIG346142018098	5904279	5904279	01 Oct 2019	SBINR52019100100130267	Corporation Bank	NEFT/RTGS (Challan)	

19. Uploaded Status of Land to be transferred to Forest Department under FCA (Mutation Details).

- (i). Whether CA Land is mandatorily required in this Proposal : Yes
(ii). Total Land identified for raising CA: 9
(iii). No. of Maintenance years: 99
(iv). Total No. of Patches/Parcel: 1

No. of patches : 1

Patch wise details		
Patch No.	Shape of land identified for CA	Area of Patch/Parcel(in ha.)
1	Block(Polygon)	9

Status of CA Land so identified : Non Forest Area

Site Name : kotsari

Location Details : kotsari

Uploaded GPS File : 

Uploaded Scanned copy of Map : 


A.E.

Attested
महेश्वरी
आध्यात्मिक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लोहाघाट
जिला- चम्पावत

अनुसूची-2

एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोली ढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण।

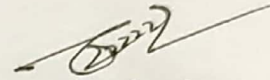
उपरोक्त परियोजना के निर्माण में 4.50 है० वन भूमि प्रभावित हो रही है जिसमें एन0पी0वी0 की धनराशि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशानुसार जमा कर दी गई है। यदि भविष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा यथा समय वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी जाएगी।

आध्यासी अभियन्ता
सिंचाई विभाग लोहाघाट
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

Strip Plantation से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोली ढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण।

उपरोक्त परियोजना के निर्माण में 4.50 हे० वन भूमि प्रभावित हो रही है जलाशय के निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव होगा जलाशय के दोनों किनारे Strip Plantation का कार्य वन विभाग की देख-रेख में किया जाएगा। जिस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी इस कार्य को करने हेतु वचनबद्ध है।



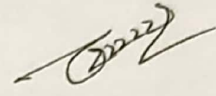
अधिसूची अभियन्ता
सिंचाई विभाग लोहाघाट
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

प्रमाण पत्र

रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोली ठेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) का निर्माण।

उपरोक्त परियोजना के निर्माण में वन भूमि 4.50 है० प्रभावित हो रही है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात रिक्त पड़े स्थानों पर प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर एवं वन विभाग की देख-रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण करवाने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी वचनबद्ध है।



अधिशामी परियोजना
प्रयोक्ता एजेन्सी
सिवाई खण्ड लोहाघाट

सेवा में

पृष्ठ-5

वन सेवाधिकारी महोदय
लोहाघाट

विषय - वृक्षों की Enumeration के सम्बन्ध में
महोदय

विशेषाज्ञाप कोली टेक कृषि जलधाय डैम के निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना दिनांक 01-07-2019 को अधिकाधिक अधिकता सिंचाई वाले लोहाघाट से व उनके जमीनप्राप्तों के सम्बन्ध की गयी जिसमें निर्माणधीन कृषि जलधाय डैम में निम्नानुसार देखकर से एवं वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं जो वन विभाग की भी वेक अर्जेंट पड़ते हैं।

	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	मोटा
वन विभाग कोली टेक प्रभावित क्षेत्र	32	20	22	17	4	-	95
मोटा	32	20	22	17	4	-	95

आतः उपरानुसार सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है
सेलमन-पत्रावली :- :-

प्रति हस्ताक्षरित

महोदय
वन सेवा
लोहाघाट
1-07-2019

सहायक अभियन्ता प्रथम
सिंचाई उप खण्ड
लोहाघाट/चम्पावत

J.E.
R.D. Lokgohat

आविशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड
लोहाघाट

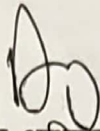
प्रधानीय जमादिलारी
चम्पावत वन प्रभार चम्पावत

परोजना का नाम-जनपद चम्पावत में लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

मानित किया जाता है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी ।



अपर सहायक अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट



सहायक अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट



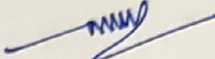
अधिशाली अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट

11. योजना का नाम-जनपद चम्पावत में लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रमाणित किया जाता है कि एन.पी.वी. की दरों में अगर वृद्धि होगी तो प्रयोक्ता अभिकरण बड़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा। ।

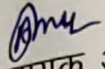

अपर सहायक अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट

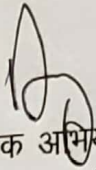

सहायक अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट

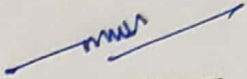

अधिशासी अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट

परियोजना का नाम-जनपद चम्पावत में लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा। ।


अपर सहायक अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट


सहायक अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट


अधिशाली अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट

प्रस्तावना का नाम-जनपद चम्पावत में लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

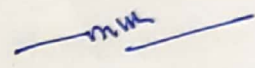
प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।



अपर सहायक अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट



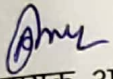
सहायक अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट



अधिशाली अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट

परियोजना का नाम—जनपद चम्पावत में लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

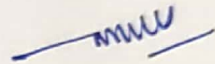
प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।



अपर सहायक अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट



सहायक अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट

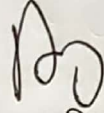


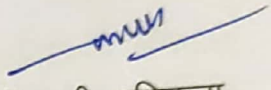
अधिशाली अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट

परियोजना का नाम-जनपद चम्पावत में लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रमाणित किया जाता है कि निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां संभव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।


अपर सहायक अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट


सहायक अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट


अधिशाली अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट

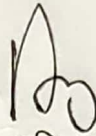
H. 10/11 - 12

परियोजना का नाम-जनपद चम्पावत में लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये Layout plan में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।



अपर सहायक अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट



सहायक अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट



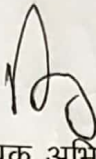
अधिशाली अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट

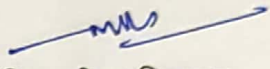
शे.ल.अ. - 13

परियोजना का नाम—जनपद चम्पावत में लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रमाणित किया जाता है कि कम से कम वृक्षों का कटान/ पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या 95 से अधिक न हो।


अपर सहायक अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट

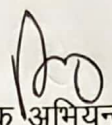

सहायक अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट

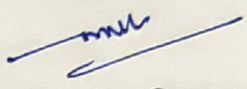

अधिशाली अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट

परियोजना का नाम—जनपद चम्पावत में लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का R-C-C Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन Forward and Back Bearing भी अंकित किया जाएगा।


अपर सहायक अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट


सहायक अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट

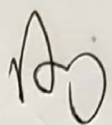

अधिशाली अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट

21.11.2017

परियोजना का नाम-जनपद चम्पावत में लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए सक्षम अधिकारी / प्राधिकरण से आवश्यक पर्यावरण मंजूरी, यदि लागू है तो, लेना आवश्यक होगा।


अपर सहायक अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट


सहायक अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट

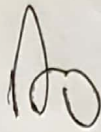

अधिशाली अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट

परियोजना का नाम—जनपद चम्पावत में लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

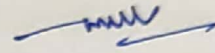
प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।



अपर सहायक अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट



सहायक अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट



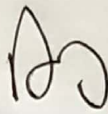
अधिशासी अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट

परियोजना का नाम—जनपद चम्पावत में लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

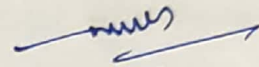
प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी ।



अपर सहायक अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट



सहायक अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट



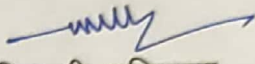
अधिसासी अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट

परियोजना का नाम—जनपद चम्पावत में लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रमाणित किया जाता है कि ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे उसका भी पालन किया जाएगा।


अपर सहायक अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट


सहायक अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट


अधिशाली अभियन्ता
सिचाई खण्ड लोहाघाट

:: आदेश ::

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र), 25, सुभाष रोड, देहरादून के पत्रांक-8वीं / यू0सी0पी0 / 02 / 127 / 2018 / एफ0सी0 / 986, दिनांक 05.08.2019 के द्वारा प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के कम में, इस कार्यालय से निर्गत वन भूमि हस्तान्तरण आदेश संख्या- 1241/सात-व0भू0-भूमि हस्तां0/2019, दिनांक दिसम्बर 03, 2019 के प्रथम एवं अन्तिम प्रस्तर में टंकण त्रुटि के कारण अंकित “ग्राम कोटसारी, प0क्षे0- दिगालीचौड़, तहसील लोहाघाट के खाता संख्या- 107 श्रेणी-9(3)ड0 बं0का0आ0 के खेत/खसरा नं0 4013 रकवा 1.75 हे0, खेत नं0 4038 रकवा 1.664 हे0, खेत नं0 4083 रकवा 1.00 हे0, खेत नं0 4128 रकवा 0.788 हे0 कुल 9.00 हे0” के स्थान पर “ग्राम कोटसारी, प0क्षे0- दिगालीचौड़, तहसील लोहाघाट के खाता संख्या- 107 श्रेणी-9(3)ड0 बं0का0आ0 के खेत/खसरा नं0 4013 रकवा 1.75 हे0, खेत नं0 4038 रकवा 1.664 हे0, खेत नं0 4083 रकवा 1.00 हे0, खेत नं0 4128 रकवा 0.788 हे0, खेत सं0- 4226 रकवा 0.629 हे0 4303 रकवा 1.295 हे0, 4367 रकवा 0.748 हे0, 4401 रकवा 1.12 हे0, 4421 रकवा 0.256 हे0 मध्ये 0.006 हे0 कुल 9.00 हे0” पढ़ा जाय। उक्त सीमा तक उपरोक्त आदेश संशोधित किया जाता है।

(विनीत तोमर)
जिलाधिकारी
चम्पावत

कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत।

संख्या-3984/सात- व0भू0-भूमि हस्तां0/2016-17, दिनांक अप्रैल 29 2021
प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
4. उप जिलाधिकारी लोहाघाट।
5. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत।
6. तहसीलदार लोहाघाट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, स्वीकृत भूमि का वन विभाग के नाम नियमानुसार भू-अभिलेखों में नामान्तरण कर, तदनुसार हस्तान्तरण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

WM
जिलाधिकारी
चम्पावत

:: आदेश ::

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्रांक-08 बी/यू0सी0पी0/02/127/2018/एफ0सी0/986, दिनांक 05.08.2019 के द्वारा चम्पावत में लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) के निर्माण में पड़ने वाली 4.50 हे० वन भूमि के बदले 9.00 हे० सिविल भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के नाम हस्तान्तरण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के कम में, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट द्वारा प्रस्तुत सिविल भूमि म्यूटेशन प्रतिवेदन के कम में, उप जिलाधिकारी कृत्रिम जलाशय (झील) के निर्माण में पड़ने वाली 4.50 हे० वन भूमि के बदले, ग्राम कोटसारी पट्टी क्षेत्र दिगालीचौड़, तहसील लोहाघाट के खाता संख्या-107, श्रेणी- 9(3)ड0 बं0का0आ0 के खेत/खसरा नं० 4013, रकवा 1.75 हे०, खेत नं० 4038, रकवा 1.664 हे०, खेत नं० 4083, रकवा 1.00 हे०, खेत नं० 4128, रकवा 0.788 हे०, कुल 9.00 हे० सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के नाम हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित की गई है। उपजिलाधिकारी की आख्या के अनुसार, प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है:-

1- भूमि कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित की गयी है। जिसके पूरब में सिविल व आरक्षित भूमि, पश्चिम में सिविल भूमि, उत्तर में नदी व आरक्षित भूमि तथा दक्षिण में सिविल भूमि स्थित है।

2- प्रस्तावित सिविल भूमि में कोई धार्मिक, पौराणिक स्थल, श्मशानघाट, मन्दिर/मस्जिद नहीं है।

3- प्रस्तावित सिविल भूमि में कोई सार्वजनिक/सरकारी अथवा गैर सरकारी भवन नहीं है।

4- प्रस्तावित सिविल भूमि किसी सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

5- प्रस्तावित सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को देने में ग्रामवासियों की कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम प्रधानों की निरापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

उपजिलाधिकारी द्वारा उक्त प्रस्तावित भूमि को वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण की संस्तुति की गयी है।

अतः भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र) 25, सुभाष रोड, देहरादून के पत्रांक-08 बी/यू0सी0पी0/02/127/2018/एफ0सी0/986, दिनांक 05.08.2019 द्वारा प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं उप जिलाधिकारी लोहाघाट की उक्त संस्तुति के कम में, जनपद चम्पावत में लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुउद्देशीय कृत्रिम जलाशय (झील) के निर्माण में प्रभावित होने वाली 4.50 हे० वन भूमि के बदले, ग्राम- कोटसारी पट्टी क्षेत्र दिगालीचौड़ तहसील लोहाघाट के खाता संख्या-107, श्रेणी- 9(3)ड0 बं0का0आ0 के खेत/खसरा नं० 4013, रकवा 1.75 हे०, खेत नं० 4038, रकवा 1.664 हे०, खेत नं० 4083, रकवा 1.00 हे०, खेत नं० 4128, रकवा 0.788 हे०, कुल 9.00 हे० भूमि को, क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(एस0एन0 पाण्डे)
जिलाधिकारी चम्पावत।

कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत।

संख्या-1241/सात-व0भू0-भूमि हस्त0/2019, दिनांक दिसम्बर 03 2019।
प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

3. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

4. उप जिलाधिकारी लोहाघाट।

5. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट।

6. तहसीलदार लोहाघाट को मय पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत भूमि का वन विभाग के नाम नियमानुसार भू-अभिलेखों में नामान्तरण कर, हस्तान्तरण करना सुनिश्चित करेंगे।

(एस0एन0 पाण्डे)
जिलाधिकारी चम्पावत।